O/C ... 228
File No. ... 8 ...
Date 27-7-16

आदेश

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या–732 / X–4–15 / 1(412) / 2015 दिनांक 13.08.2015 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट से रणकोट कू उप्रेती मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 1.5375 है0 वन भूमि के बदले 3.075 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2173 / XVIII(II) / 2012–18 (120) / 2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में रणकोट कूँ उप्रेती मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 1.5375 है0 वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट की सहमति / संस्तुति के आधार पर ग्राम रणकोट पट्टी कू उप्रेती तहसील गंगोलीहाट के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–30 श्रेणी–9(3) ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 2080 रकवा 1.568 है0, 2082 रकवा 0.903 है0, 2095 रकवा 0.375 है0, 2096 रकवा 0.229 है0 कुल 04 खेतों की 3.075 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार गंगोलीहाट स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण / नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जुलाई 25, 2016

(एच0सी0 सेमवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या–2241 / सात– 100 / 2015–16 दिनांक जुलाई 25, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
5. तहसीलदार गंगोलीहाट को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(एच0सी0 सेमवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (ग्रा.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20/7/2016